

पत्रांक 15/सी 3-11/2015 - 608
शिक्षा विभाग, बिहार,

प्रेषक,

(डॉ०) प्रकाशचन्द्र दुबे,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 18/3/2015

विषय:- श्री (डॉ०) दिलीप कुमार चौधरी, स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 179 वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सख्या - ई 79 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विधान परिषद् सचिवालय से प्राप्त प्रश्न की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रश्न में वर्णित तथ्यों के आलोक में कंडिकावार उत्तर सामग्री यथा आवश्यक पूरक सामग्री के साथ फैक्स/विशेष दूत के माध्यम से 24 घंटे के अंदर विभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन,

प्रकाशचन्द्र दुबे 18.03.15

(डॉ० प्रकाशचन्द्र दुबे)

विशेष कार्य पदाधिकारी

बिहार विधान परिषद् के 179 वें सत्र के लिए श्री डा० दिलीप कुमार चौधरी, स०वि० प० से तारंकित प्रश्न प्राप्त ।

ई०-79 क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-

क्या यह सही है कि यू०जी०सी० के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य के विभिन्न विश्व विद्यालयों में कराए गए शोध कार्यों की सूची एवं इसका संक्षिप्त विवरण प्रत्येक विश्व विद्यालय के वेब साईट एवं यू०जी०सी० के वेब साईट हेतु भेजना आवश्यक है परन्तु इसका पालन नहीं किया जा रहा है ;

क्या यह सही है कि समेकित सूचना नहीं होने के कारण शोध कार्य की गुणावत्ता प्रभावित हो रही है ;

यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार राज्य के सभी विश्व-विद्यालयों को समय सीमा के अंदर सभी विभागों में हुए शोध प्रबन्धों का विवरण विश्वविद्यालय के वेबसाईट एवं यू०जी०सी० के वेबसाईट पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक ?